न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :—

भोपाल पुत्र नारायणराम
जाट सा. माकड़ो की ढाणी खुण्डियास

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तहसीलदार, परबतसर
2. पटवारी हल्का कालेटड़ा
3. पांचूराम पुत्र नारायण
4. श्रवणराम पुत्र नारायण
5. सूरजकरण दत्तक भंवरलाल
6. गोपीराम पुत्र उमा जाट

निवासी खुण्डियास तह. परबतसर

दावा बाबत :— खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री गजराज चौहन अधिवक्ता वादी
श्री शैतानसिह अधिवक्ता प्रतिवादी 3 से 6

मुकदमां नम्बर :— 2021 / 174

निर्णय दिनांक :— 14/3/22

निर्णय

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खुण्डिसाय के खसरा नम्बर 241 रकबा 1.35 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 125, 127 कुल रकबा 8.16 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम भैरूराम पुत्र नारायण व गोपालराम पुत्र नारायण लिखा हुआ है जबकि वादी का वास्तविक नाम भोपाल पुत्र नारायणराम है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में भोपाल पुत्र नारायणराम ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं वादी के अन्य दस्तावेज में वादी के नाम में भिन्नता होने से वादी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। जिससे यह वाद पेश किया है। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खुण्डियास के खसरा नम्बर 241 में भैरूराम, व गोपाल के स्थान पर भोपाल पुत्र नारायणराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 3 से 5 ने इकबालिया जबाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है बल्कि इसमें हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है। प्रतिवादी 1, 2 ने प्रकरण में कोई राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। साक्ष्य वादी में वादी ने अपना साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया है ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादी के अधिवक्ता का बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजत का अवलोकन किया गया। विधि को सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादी ने वाद के साथ ग्राम खुण्डिसाय की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 पेश की है, जिसमें ग्राम खुण्डियास के खसरा न्म्बर 125, 127 कुल रकबा 8.16 हैक्टयर भूमि में वादी का नाम गोपालराम पुत्र नारायण 1/24 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार खसरा नम्बर 241 रकबा 1.35 हैक्टयर भूमि में भैरूराम पुत्र नारायण दर्ज रिकार्ड है। वादी अन्य दस्तावेजो में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, तथा बैंक पास बुक की छाया प्रतियां पेश की है जिसमें वादी का नाम भौपाल पुत्र नारायणराम दर्ज रिकार्ड है, जिसको प्रतिवादी 3 से 6 ने अपने इकबालिया जबाब में स्वीकार किया है कि वादी हमार संगा भाई है जिसको बचपन में घर पर प्यार से भैरू व गोपाल नाम से पुकारते थे जिससे पिता को स्वर्गवास होने पर जो नाम पटवारी को बताया वही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया वादी का सही नाम भौपाल पुत्र नारायणराम है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुण्डियास के खसरा नम्बर 241 में भैरूराम पुत्र नारायण व खसरा नम्बर 125, 127 में गोपालराम पुत्र नारायण के स्थान पर भोपाल पुत्र नारायण राम घोषित किया जाता है। तदनुसार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर